	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017/00248	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 22/3/18 को पेश हो ।	
22/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/4/18 को पेश हो ।	
5/4/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 3/5/18 को पेश हो ।	
7/5/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प भौंरा मे पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी को मजमे आम मे सुना गया। वकील वादी ने कथन किये कि वादी का वास्तविक [illegible] कुमार है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे	मुकेश मीणा [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2017/245
	मे वादी का नाम मुकेश कुमार ही अंकित है। इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा भी तस्दीक की गई है कि बृजमोहन एवं मुकेश कुमार दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः वादी का नाम विवादित अराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे बृजमोहन के स्थान पर मुकेश कुमार दर्ज किया जावे। मजमे आम मे पत्रावली का अवलोकन किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर विधिक विचारण किया एवं वकील वादी द्वारा किये गये कथनो के सम्बन्ध मे साक्ष्य पर मनन किया गया। विद्वान वकील वादी द्वारा किये गये कथनो की ताईद दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। जिससे वाद वादी स्वीकार योग्य है। लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बरीर का खेडा तहसील डीगोद स्थित ख०नं० 25, 26 कुल किता 2 रकबा 2.07 हे० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नाम बृजमोहन पुत्र जमनालाल के स्थान पर मुकेश कुमार उर्फ बृजमोहन पुत्र जमनालाल दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]